UPLK010090922023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट, लखनऊ।

सत्र वाद सं० 2049/2023

सरकार **बनाम** वीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ विरेन्द्र यादव आदि

अ० सं० 029/2023
धारा 323, 504 भा०द०सं० तथा
धारा 3(1)द, ध 3(2)5a एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट
थाना–माल, लखनऊ।

25.11.2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ विरेन्द्र यादव व्यक्तिगत रूप से मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ विरेन्द्र यादव के विरूद्ध धारा 323, 504 भा०द०सं० धारा 3(1)द, ध 3(2)5a एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 12.01.2026 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010090922023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट, लखनऊ।

सत्र वाद सं० 2049/2023

सरकार **बनाम** वीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ विरेन्द्र यादव आदि

अ० सं० 029/2023
धारा 323, 504 भा०द०सं० तथा
धारा 3(1)द, ध 3(2)5a एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट
थाना–माल, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ विरेन्द्र यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

प्रथम–यह कि दिनांक 10.02.2023 को शाम 7.00 बजे थाना माल, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम नौबस्ता में आप अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ विरेन्द्र यादव ने वादी मुकदमा दिनेश कुमार को मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ विरेन्द्र यादव ने वादी मुकदमा दिनेश कुमार को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ विरेन्द्र यादव ने वादी मुकदमा दिनेश कुमार को अनुसूचित जाति का सद्स्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ विरेन्द्र यादव ने वादी मुकदमा दिनेश कुमार जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचम– यह उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ विरेन्द्र यादव ने अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा दिनेश कुमार के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा–3(2)(5a) के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 25.11.2025	(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी) विशेष न्यायाधीश (एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट), लखनऊ। जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांकः 25.11.2025	(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी) विशेष न्यायाधीश (एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट), लखनऊ। जेओ कोड–यूपी06127